झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका सं०- 33/2024

विवेक कुमार, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता - विनय सिंह, निवासी बलिहारी, डाकघर+थाना- मोहनपुर, जिला. -गया (बिहार)। ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

झारखंड राज्य ..... **विपक्ष**

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री शैलेश कुमार सिंह, अधिवक्ता
श्री अभिजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री सुबोध कुमार दुबे, अपर पी.पी.

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें धनसार थाना मामला संख्या 279/2018 के संबंध में विद्वान जे.एम.-प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 23.11.2023 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 406 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पंजीकृत है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है और साथ ही धनसार थाना मामला संख्या 279/2018 के संबंध में विद्वान जे.एम.-प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 05.12.2023 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके द्वारा सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा की गई है। याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी किया गया है और उक्त मामला अब विद्वान जेएम-प्रथम श्रेणी, धनबाद की अदालत में लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने धनसार थाना कांड संख्या 279/2018 के संबंध में विद्वान जे.एम.-प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 23.11.2023 के आदेश को रद्द करने की अपनी प्रार्थना को त्याग दिया है, जो भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 406 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पंजीकृत है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है और अपनी प्रार्थना को

केवल धनसार थाना कांड संख्या 279/2018 के संबंध में विद्वान जे.एम.-प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 05.12.2023 के आदेश को रद्द करने तक सीमित रखा है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और यह संतुष्टि दर्ज किए बिना जारी की गई है कि याचिकाकर्ता फरार है या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है, जो सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने के लिए अनिवार्य है और याचिकाकर्ता जो उक्त मामले का आरोपी व्यक्ति है, की उपस्थिति के लिए कोई समय और स्थान तय किए बिना जारी किया गया। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि धनसार थाना कांड संख्या 279/2018 के संबंध में विद्वान प्रभारी जे.एम-प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है; कानून के अनुसार नहीं होने के कारण, रद्द और अलग रखा जाना चाहिए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने धनसार थाना मामला संख्या 279/2018 के संबंध में विद्वान प्रभारी जे.एम.-प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 05.12.2023 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है और प्रस्तुत किया है कि यह तथ्य कि विद्वान प्रभारी जे.एम.-प्रथम श्रेणी, धनबाद ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की है, अपने आप में यह दर्शाता है कि रिकॉर्ड में ऐसे सामग्री उपलब्ध थी जिससे विद्वान प्रभारी जे.एम.-प्रथम श्रेणी, धनबाद संतुष्ट हो सके कि ऐसी उद्घोषणा जारी करने और कार्यवाही करने का औचित्य है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के, खारिज किया जाना चाहिए।

6. बार में प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अब तक यह विधि का स्थापित सिद्धांत बन चुका है कि जो न्यायालय सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करता है, उसे अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि जिस अभियुक्त के संबंध में सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा की गई है, वह फरार है या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं को छिपा रहा है और यदि न्यायालय सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने का निर्णय लेता है, तो उसे उस आदेश में ही याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए समय और स्थान का उल्लेख करना चाहिए, जिसके द्वारा सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी

की गई है। जैसा कि पहले ही ऊपर दर्शाया जा चुका है, चूंकि विद्वान प्रभारी जे.एम.-प्रथम श्रेणी, धनबाद ने न तो इस बात पर अपनी संतुष्टि दर्ज की है कि याचिकाकर्ता फरार है या गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है और न ही याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए कोई समय या स्थान तय किया है, इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विद्वान प्रभारी जे.एम.-प्रथम श्रेणी, धनबाद ने कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उक्त उद्घोषणा जारी करके अवैधानिकता की है। इसलिए, यह कानून में टिकने योग्य नहीं है और इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए यह एक उपयुक्त मामला है, जहां धनसार थाना मामला संख्या 279/2018 के संबंध में विद्वान प्रभारी जे.एम.-प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 है, जिसके द्वारा सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा की गई है। याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी किया गया है, उसे रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

7. तदनुसार, धनसार थाना कांड संख्या 279/2018 के संबंध में विद्वान प्रभारी जे.एम.-प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 05.12.2023 का आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई थी, को निरस्त एवं अपास्त किया जाता है।

8. विद्वान प्रभारी जे.एम.-प्रथम श्रेणी, धनबाद कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित कर सकते हैं।

9. विदा लेने से पहले यह बताना उचित होगा कि इस तरह का लापरवाही भरा आदेश धनबाद के विद्वान प्रभारी जेएम-प्रथम श्रेणी ने इस न्यायालय द्वारा बार-बार इस तरह के अवैध आदेश पारित न करने के आदेश के बावजूद, बिना कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए और बिना सोचे-समझे, अस्पष्ट हस्ताक्षर किए हैं। इस तरह के आदेश केवल इस न्यायालय के बोझ को अनावश्यक रूप से बढ़ाते हैं।

10. इस निर्णय की एक प्रति धनबाद के विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश को भेजी जाए, ताकि प्रशासनिक पक्ष से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह समझाया जा सके कि भविष्य में इस तरह का लापरवाही भरा आदेश पारित न किया जाए।

11. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकृत हो जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय,रांची
दिनांक 31 जनवरी, 2024
AFR/ Animesh

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।